फर्द अहकाम

# न्यायालय सहायक कलक्टर, चौमूं

GCMS-2025/6

## बीरबल बनाम केदारमल वगै0

मुकदमा नम्बर :– 05/2025

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट.

| क्रम संख्या | दिनांक आज्ञा या कार्यवाही | आज्ञा विस्तृत रुप से | विशेष विवरण |
|---|---|---|---|
| . | 03.01.2025 | प्रार्थी की ओर से प्रा0 पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा अर्न्तगत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम– 1955 के तहत पेश हुआ। प्रा0 पत्र दर्ज रजिस्टर हो। प्रा0 पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा पर प्रार्थी अधिवक्ता को सुना गया। प्रार्थी के वकील ने अपनी अंतरिम बहस प्रार्थना पत्र में अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किए जाने का निवेदन किया। बहस पर मनन किया गया। प्रार्थी के प्रार्थना पत्र व दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। रिकॉर्ड व दस्तावेजात के अवलोकन से पत्रावली में गुवावगुण पर टिप्पणी किये बिना प्रार्थी के पक्ष में अन्तरिम अस्थायी निषेधाज्ञा जारी किया जाना न्यायोचित प्रतित नही होता है अतः प्रार्थी की अन्तरिम अस्थायी निषेधाज्ञा अस्वीकार कर खारिज की जाती है। पत्रावली बाद तलबी आगामी पेशी दिनांक 24.01.2025 को पेश हो। [signature] | |
| | 17/01/25 | प्रार्थी मय अधिवक्ता के उपस्थित होकर प्रा.पत्र पत्रावली तलबी का पेश होने पर पत्रावली तलब की गयी। प्रा.पत्र विड्रा का पेश कर निवेदन किया कि प्रकरण में आगे कोई कार्यवाही नहीं चाहते है। प्रार्थी के प्रा.पत्र व पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थी का प्रा.पत्र विड्रा स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है अतः प्रा.पत्र विड्रा स्वीकार किया जाकर पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज रजिस्टर से कम हो तथा दाखिल दफ्तर हो। [signature] सहायक कलक्टर चौमूँ (जयपुर) | बीरबल [illegible] Ind. [illegible] |